कार्यालय कलेक्टर(जिला योजना एवं सांख्यिकी) रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771–2426505 विभागीय वेबसाइट: www.descg.gov.in email :- dpsoraipur@gmail.com

क्रमांक 1191 /2015/जियोसांका/जीवनांक/ रायपुर दिनांक 29/05/2015

प्रति,

1. आयुक्त एवं रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)
   नगर निगम रायपुर / बीरगाँव
   जिला – रायपुर (छ.ग.)

2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   एवं रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु),
   नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत ....
   जिला रायपुर (छ.ग.)

विषय :– लोकसेवा केन्द्रों से जन्म मृत्यु पंजीयन की प्रकिया बाबत् ।

राज्य शासन द्वारा नागरिकों की सुविधा हेतु संचालित लोकसेवा केन्द्रों से जन्म–मृत्यु पंजीयन के संबंध में पंजीयन इकाइयों में व्याप्त विभिन्न भ्रांतियों के कारण पंजीयन कार्य बाधित/विलंबित हो रहा है, जिसके कारण आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। रजिस्टार की सुविधा हेतु इस संबंध में अपनायी जाने वाली प्रकिया का संक्षिप्त विवरण निम्नसार है : -

1. लोकसेवा केन्द्रों पर आम नागरिकों द्वारा जन्म–मृत्यु पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर लोक सेवा केन्द्र संचालक आवश्यक दस्तावेज सहित आवेदन संबन्धित रजिस्ट्रार को आवश्यक स्वीकृति हेतु ऑनलाइन अग्रेषित करेगा।
2. रजिस्ट्रार इस प्रकार प्राप्त आवेदन व संलग्न दस्तावेजो का परीक्षण करेंगे तथा संतुष्ट होने पर स्वीकृति देते हुए डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
3. रजिस्टार की स्वकृिति से जारी प्रमाण पत्र लोक सेवा केन्द्र संचालक द्वारा संबाधित व्यक्ति को आवश्यक शुल्क लेकर प्रदान किया जायेगा, लोकसेवा केन्द्र स्वयं आवेदन पर कार्यवाही कर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नही करेंगे क्योंकि वह जन्म-मृत्यु अधिनियम-1969 के तहत रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार घोषित नहीं है |

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा प्रदाय यह सुविधा नियमित कार्यालयीन सुविधा के अतिरिक्त है | अतः संबंधित रजिस्ट्रार / उपरजिस्ट्रार का कार्यालय पूर्ववत पंजीयन कार्य करते रहेगें।

टीप :– समस्त रजिस्ट्रार का यह दायित्व होगा कि वह अपने अधिकारिता में संचालित लोक सेवा केन्द्र को जन्म-मृत्यु प्रपत्र-1, 2 उपलब्ध कराने तथा उनसे सांख्यिकी भाग का संकलन कर एवं वितरित जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों की संख्या की जानकारी जिला रजिस्टार कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जाने वाली मासिक रिपोर्ट में शामिल करें।

कलेक्टर 29/5/15

एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु)

जिला रायपुर (छ.ग.)

Pl put in website (CRS)
5/6/15

"प्रत्येक जन्म-मृत्यु का पंजीयन अवश्य कराएं"

पृ0क्रमांक 1192/2015/जियोसांका/जीवनांक/ रायपुर दिनांक 29/05/2015

प्रतिलिपि :

1. संयुक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म- मृत्यु) आ.सा.सं छ. ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
2. समस्त लोकसेवा केंद्र संचालक मार्फत संबन्धित रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) की ओर सूचनार्थ । टीप अनुसार रजिस्ट्रार से प्रपत्र प्राप्त कर पंजीयन कार्य करें एवं प्रपत्र का सांख्यिकी भाग रजिस्ट्रार को प्रेषित करें ।

28/5/15

उप संचालक,
एवं जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)
जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय
जिला रायपुर (छ.ग.)

"प्रत्येक जन्म-मृत्यु का पंजीयन अवश्य कराएं"